

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 356
बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शीघ्र अपनाए जाने के संबंध में रूपरेखा

***356. श्रीमती सुप्रिया सुले:**

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के स्वच्छ ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों के अनुरूप पूरे महाराष्ट्र में रूफटॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शीघ्र अपनाए जाने के संबंध में कोई रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीबीवाई), प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी अन्य केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं, हासिल की गई संस्थापित क्षमता, शामिल किए गए लाभार्थियों और प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर, ऊर्जा भंडारण, ग्रिड एकीकरण और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार के लिए और अधिक सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सरकार के समन्वय से और अधिक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने, निजी निवेश को आकर्षित करने और महाराष्ट्र में स्वच्छ, वहनीय और सतत ऊर्जा को शीघ्र अपनाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा शिक्षा मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शीघ्र अपनाए जाने के संबंध में रूपरेखा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 356 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रूफटॉप सौर को अपनाने में तेजी लाने के लिए सरकार ने फरवरी, 2024 में पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-SGMBY) की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर इंस्टॉलेशन करना है।

इसके अलावा, देश में सौर पार्कों की स्थापना में सहायता करने के लिए सरकार 'सौर पार्कों और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं का विकास' के लिए योजना कार्यान्वित कर रही है। देश में फ्लोटिंग सौर पार्कों की स्थापना को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक की अवधि के लिए 5,070 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता परिव्यय के साथ पीएम सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को स्वीकृति दी है, जिसमें वित्तीय सहायता का संवितरण वित्त वर्ष 2032-33 तक जारी रहेगा।

सरकार, महाराष्ट्र सहित देश में अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने और उनमें तेजी लाने के लिए अन्य नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन कर रही है, जैसा कि **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी (MEDA) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में ग्रीन ऊर्जा विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण नीति 2025-2035 को अधिसूचित किया है। इस नीति में वित्त वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से राज्य की बिजली की मांग का लगभग 52 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2035 तक लगभग 65 प्रतिशत पूरा करने की व्यवस्था है। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (MAHAGENCO) ने पूरे महाराष्ट्र राज्य में वर्ष 2030 तक 8 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र राज्य में कुल 16176.13 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है, जिसमें 14899.27 मेगावाट सौर विद्युत, 914.38 मेगावाट पवन विद्युत, 359.28 मेगावाट जैव विद्युत (बायो पावन) और 3.20 मेगावाट लघु जल विद्युत शामिल हैं।

PM-SGMBY के तहत, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार, योजना के शुभारंभ के बाद से दिनांक 05.08.2026 की स्थिति के अनुसार, राज्य में 2608.12 मेगावाट की कुल क्षमता के रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से 10.96 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं।

इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में स्वीकृत क्षमता की तुलना में पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम-कुसुम भाग-ए, बी और सी के तहत स्थापित परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

भाग-ए (मेगावाट में)		भाग -बी (पंपों की संख्या)		भाग-सी (एफएलएस) (पंपों की संख्या)	
स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	सौरीकृत
260.00	17	5,75,000	4,79,135	8,75,000	8,75,000

पिछले तीन वर्षों के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है -

योजना/कार्यक्रम	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)
रूफटॉप सौर	4793.09
पीएम-कुसुम	4924.53
राष्ट्रीय बायो-एनर्जी कार्यक्रम	97.81

(ग) और (घ) देश में अधिकांश यूटिलिटी-स्केल की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जा रही हैं, जिनका चयन पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित देश में रूफटॉप सौर, ऊर्जा भंडारण, ग्रिड समेकन और विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार के लिए सहायता देने सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और उसमें तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं और पहल की हैं, जैसा कि **अनुलग्नक-II** में दिया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में हरित ऊर्जा विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण नीति 2025-2035 को अधिसूचित किया है।

राज्यों में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अधिक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रालय, राज्यों के साथ समय-समय पर समीक्षा और मार्गदर्शक बैठकें आयोजित करता है। इसमें मुंबई में क्षेत्रीय कार्यशाला सहित पूरे देश में क्षमता निर्माण कार्यशालाएं और जन जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। इसके अलावा, MEDA से प्राप्त सूचना के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के अलावा, राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

Annexure-I

चल रही प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण

1. 40,000 मेगावाट क्षमता स्थापित करने के लक्ष्य के साथ सौर पार्क और अल्ट्रा-मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के अंतर्गत सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ भूमि, सड़कों, विद्युत निकासी प्रणाली, जल सुविधाओं जैसी अवसंरचना का विकास किया जाता है। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-पैमाने की सौर परियोजनाओं के तेजी से विकास में मदद करती है।
2. पीएम-कुसुम योजना जिसमें विकेन्द्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत संयंत्रों की स्थापना, स्टैंड-अलोन सौर कृषि पंपों की स्थापना और फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण शामिल है। इस योजना से न केवल किसानों बल्कि राज्यों और डिस्कॉम को भी लाभ होता है।
3. सरकारी उत्पादकों द्वारा व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) के साथ स्वयं या सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग हेतु प्रत्यक्ष तौर पर या वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के माध्यम से स्वदेशी रूप से निर्मित सौर PV सेलों एवं मॉड्यूलों का उपयोग करके 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (CPSU) योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
4. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली बनाने के लिए ग्रीन एनर्जी करिडोर (GEC)। कुल दस राज्यों (GEC के दोनों चरणों को ध्यान में रखते हुए) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जाती है।
5. राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम (चरण-I):
 - अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम: शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशिष्ट से ऊर्जा संबंधी कार्यक्रम।
 - बायोमास कार्यक्रम: ब्रिकेट्स और पैलेट्स के निर्माण में सहायता और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित सह-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना।
 - बायोगैस कार्यक्रम: पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए।

6. प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमान) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर विद्युत योजना [जनजातीय और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) बस्तियों / गांवों के लिए] जिसमें ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश प्रदान करने का प्रावधान है जहां ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से संभव नहीं है।
7. वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत (SHP) विकास योजना (1 मेगावाट से 25 मेगावाट)। इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में लगभग 1,500 मेगावाट नई SHP क्षमता स्थापित करना है।

भारत सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहित देश में रूफटॉप सोलर, ऊर्जा भंडारण, ग्रिड समेकन और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के विस्तार के लिए सहायता देने सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा देने और गति देने के लिए कई उपाय और पहल की हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- ग्रिड कनेक्टेड सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और सतत एवं प्रेषणयोग्य नवीकरणीय ऊर्जा (FDRE) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- 500 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस (CFD) के लिए पायलट योजना जारी की गई है। CFD तंत्र, एक विश्व स्तर पर सिद्ध ढांचा, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री के लिए एक वैकल्पिक साधन (दीर्घकालिक बिजली खरीद करारों के अलावा) प्रदान करेगा।
- RE की खपत को बढ़ावा देने के लिए, नवीकरणीय उपभोग बाध्यता ट्रेजेक्ट्री (RCO) का लक्ष्य वर्ष 2029-30 तक के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू RCO की अनुपालना न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। RCO में विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खपत की निर्दिष्ट मात्रा भी शामिल
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी गई है।
- प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के अंतर्गत नवीन सौर विद्युत योजना (जनजातीय तथा PVTG बस्तियों/गावों के लिए), राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (VGF) जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।
- सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं पार्कों की स्थापना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स को बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि एवं ट्रांसमिशन उपलब्ध कराने के लिए योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- (ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं सहित) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कुछ निर्धारित समय-सीमाओं और शर्तों के अधीन होते हुए इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली (ISTS) शुल्कों में छूट,।

- नवीकरणीय विद्युत की निकासी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाने और नई सब-स्टेशन क्षमता विकसित करने हेतु वित्तपोषण किया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक उत्पादों (अर्थात्, सौर पीवी मॉड्यूल, सौर पीवी इनवर्टर और भंडारण बैटरी) और सौर जल तापन प्रणालियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किए गए हैं।
- पांच सौ किलोवाट तक अथवा स्वीकृत विद्युत लोड तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग के लिए विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए हैं।
- “पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनः शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023” जारी की गई है।
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे (लीज) की मंजूरी को विनियमित करने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।
- दिनांक 12 जून 2025 को प्रोटोटाइप पवन टरबाइन मॉडल की स्थापना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए।
- दिनांक 31 जुलाई, 2025 को पवन टरबाइन मॉडलों और विंड टर्बाइन के निर्माताओं (RLMM) की संशोधित सूची में पवन टरबाइन मॉडल को शामिल करने/अद्यतन करने की प्रक्रिया जारी की गई। यह संशोधन RLMM का नाम बदलकर मॉडलों और निर्माताओं की स्वीकृत सूची [ALMM (पवन)] के रूप में पुनः नामित करता है और भारत के भीतर डेटा केंद्रों के अनिवार्य पुनः स्थापना और भारत के बाहर रियल टाइम डेटा हस्तांतरण पर प्रतिबंध के साथ-साथ ब्लेड, टॉवर, जनरेटर, गियरबॉक्स और विशेष बीयरिंग (मुख्य, पिच और यॉ बीयरिंग) जैसे सूचीबद्ध उपकरणों के उपयोग को अनिवार्य करता है।
- दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को ALMM-पवन और ALMM - पवन टरबाइन उपकरणों (ALMM - WTC) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई, जिसमें आवेदन, सत्यापन, कारखाना निरीक्षण, उपकरण मूल्यांकन और मॉडल सूचीबद्धता के लिए संपूर्ण प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
- सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों और ग्रिड कनेक्टेड सौर इनवर्टरों के लिए मानक एवं लेबलिंग (S & L) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

- “विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम (एलपीएस नियम)” अधिसूचित किए गए हैं।
- सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद और सतत हरित ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 06 जून, 2022 को विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा) नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। वितरण लाइसेंसधारी को उसी विद्युत प्रभाग में स्थित कुल मिलाकर सौ किलोवाट या इससे अधिक के एकल या बहु एकल कनेक्शन के माध्यम से 100 किलोवाट या इससे अधिक की संविदा मांग के साथ किसी भी उपभोक्ता को ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस की अनुमति है।
- एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM) की शुरुआत की गई है।
- सरकार ने यह आदेश जारी किए हैं कि विद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट - LC) या अग्रिम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताकि वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) को विद्युत प्रणाली के एक अभिन्न अंग के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देने के लिए दिसंबर 2022 में विद्युत नियमों में संशोधन किया गया था, जिससे उत्पादन, पारेषण और वितरण कार्यों में उनकी भागीदारी सक्षम हो सके।
- अक्टूबर 2022 में, ESS को वित्त मंत्रालय की बुनियादी ढांचे की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया था, जिससे लंबी अवधि और कम लागत वाले वित्तपोषण तक पहुंच की सुविधा मिली।
- जून 2023 में, सरकार ने राज्य उपयोगिताओं द्वारा संसाधन पर्याप्तता योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत अधिकतम मांग को पूरा करने और प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण को एक प्रमुख योजना संसाधन के रूप में शामिल किया गया है।
- ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2023 में एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क जारी किया गया था, जो भंडारण प्रौद्योगिकियों की तैनाती, बाजार समेकन और विनियामक सुविधा के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करता है।
- परियोजना व्यवहार्यता में सुधार के लिए जून 2028 तक सह-स्थित BESS परियोजनाओं और PSP के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क की छूट प्रदान की गई है। अन्य BESS

परियोजनाओं के लिए, जून, 2025 तक चालू की गई BESS के लिए ISTS शुल्क की 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गई जिसके बाद 25 प्रतिशत वार्षिक कमी होगी।

- जनवरी 2022 में, CERC ने भंडारण-आधारित संसाधनों को माध्यमिक और तृतीयक भंडार सहित सहायक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी, जिससे ESS पारंपरिक उत्पादकों के साथ वास्तविक समय ग्रिड संतुलन का समर्थन करने में सहायक हुआ।
- वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा BESS और हाइड्रो PSP की खरीद के लिए टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) दिशानिर्देश क्रमशः मार्च 2022 और फरवरी, 2025 में अधिसूचित किए गए थे, जिससे बड़े पैमाने पर भंडारण खरीद के लिए एक पारदर्शी तंत्र तैयार किया गया था।
- दिसंबर 2022 में संशोधित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के तहत, डीजल जनरेटर सेट का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य आयोगों द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के अंदर ऊर्जा भंडारण सहित स्वच्छ बैकअप समाधानों में स्थानांतरित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- बीईएसएस से आपूर्ति की गई बिजली को मार्च 2023 में शुरू किए गए हाई-प्राइस डे-अहेड मार्केट में भाग लेने की अनुमति दी गई है, जिससे भंडारण गैस-आधारित उत्पादन के समान उच्चतम मूल्य संकेतों को संभालने में सक्षम हो सके।
- सरकार प्रारंभिक चरण की तैनाती में तेजी लाने के लिए लगभग 43.8 गीगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास में सहायता करने के लिए दो व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (VGF) योजनाओं को लागू कर रही है।
- भारी उद्योग मंत्रालय 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 50 गीगावाट की उन्नत रसायन विज्ञान सेल विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए एक उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू कर रहा है, जिसमें से 10 गीगावाट ग्रिड-स्केल भंडारण के लिए निर्धारित है।
- पंपड भंडारण परियोजनाओं के लिए, बुनियादी ढांचे को सक्षम करने के लिए पहले 200 मेगावाट के लिए 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट और उसके बाद 70.75 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की दर से अनुदान प्रदान किया जाता है।
- CERC ने गैर-सौर घंटों के दौरान अलग ग्रिड कनेक्टिविटी की अनुमति दी है, जिससे मौजूदा सबस्टेशनों पर अतिरिक्त नवीकरणीय क्षमता सक्षम हो गई है और शाम तथा रात के समय बिजली के भंडारण-आधारित स्थानांतरण की सुविधा मिल रही है।
- परियोजना विकास में तेजी लाने के लिए क्लोज्ड-लूप, ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सांविधिक सहमति लेना समाप्त कर दिया गया है।

- सितंबर 2025 में बिजली नियमों में संशोधन के माध्यम से, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को उपभोक्ताओं द्वारा विकसित, स्वामित्व, पट्टे पर या संचालित करने की अनुमति दी गई है, जिससे स्वामित्व और व्यापार मॉडल की सीमा का विस्तार हो रहा है।
- फरवरी 2025 में, CEA ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ ESS के सह-स्थान पर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें सौर ऊर्जा की प्रेषण क्षमता में सुधार के लिए कम से कम दो घंटे की अवधि के लिए स्थापित सौर क्षमता के कम से कम 10 प्रतिशत की भंडारण क्षमता की सिफारिश की गई।
